

5-1-14

पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/वकील
उभयपक्ष उपस्थित है। श्रीमान् P.O. सख्त
बोरे पर है। अवकाश पर है/का स्थानांतरण
हो गया है। अतः पत्रावली दि० 2-1-14
को पेश हो। अतः पत्रावली दि० 2-1-14
को पेश हो।

2-1-14 वकील उभयपक्ष उप० है। वास्ते कायमी तनकी
पत्रावली दि० 5-1-14 को पेश हो।

5-1-14 वकील उभयपक्ष उप० है। वास्ते कायमी तनकी
पत्रावली दि० 16-1-15 को पेश हो।

16-1-15 वकील उभयपक्ष उप० है। वास्ते कायमी तनकी पत्रा
दि० 13-3-15 को पेश हो।

13-3-15 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/वकील
उभयपक्ष उपस्थित है। श्रीमान् P.O. सख्त
बोरे पर है। अवकाश पर है/का स्थानांतरण
हो गया है। अतः पत्रावली दि० 9-4-15
को पेश हो।

24-4-15 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/वकील
उभयपक्ष उपस्थित है। श्रीमान् P.O. सख्त
बोरे पर है। अवकाश पर है/का स्थानांतरण
हो गया है। अतः पत्रावली दि० 5-6-15
को पेश हो।

1068-69
111510

11-5-15 पत्रावली की अवलोकने कि जगह पत्रावली दि० 18-5-15 को
कैम्प नारायणपुर पर लोक अदालत में रखी जावे। पक्षकारों
को नोटिस जारी किया जावे।

18-5-15 पत्रावली आज लोक अदालत में कैम्प नारायणपुर में पेश हुई।
पक्षकार वादी 21 जामस व प्रतिवादी रामचंद्र उपस्थित है।
पक्षकारों ने राजीनामा इस आशय का पेश किया कि वादी
की श्रमि खसरा नं० 965 एवं प्रतिवादी की श्रमि खसरा नं०
966 जाम 2 खास का सीमा अतिक्रमण किया जावे
वादी का मुकदमा वापिस लेटा लिया जावे।
पक्षकारों को सूचना जगह 1 राजीनाम के अनुसार
मुकदमे का निहाराण करने में कार्य आपत्ती
पक्षकारों को नहीं है। अतः वादी का दावा

राजाराज
बाबू

वकील
जगह है कि
मध्यसत
व 966
0.36
में सीमा
जावे। प
लिखा जा
पत्रावली
एवं बा

नम्बर
अहकाम
हुकम क
में ज

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापूर सिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी—: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

1. राजाराम पुत्र सावलियाराम जाति मीना निवासी नारायणपुर तहसील गंगापूर सिटी —
बनाम

1. रामचीज पुत्र श्रीचंद जाति मीना निवासी नारायणपुर तहसील गंगापूर सिटी

—प्रतिवादी

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. — 71/2014

वादी की ओर से वादी राजाराम की व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी रामचीज उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 18.5.2015 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जात कि

लोक अदालत में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वादी का वाद वि करने की अनुमति दी जाती है एवं तहसीलदार गंगापूर सिटी को निर्देशित किया जाता है वे नायब तहसीलदार तलावडा की अध्यक्षता में एक टीम गठित कर ख0न0 965 रकबा एयर एवं 966 रकबा 36 एयर ग्राम टटवाडा का दोनो पक्षों की उपस्थिति में सीमाज्ञान करा खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 18.5.2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर गई।



मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
गंगापूर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील			
जोड		जोड	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :- गंगापूर

राजीनामा प्रपत्र

दिनांक 18/5/15

श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय,

उपजिला कलक्टर लोक

राजाराम

बनाम

रामचंज

प्रकरण संख्या

71/2014 अन्तर्गत धारा

188 A-T-Act

उपर्युक्त प्रकरण में प्रार्थी/वादी श्री राजाराम पुत्र साँवलिधारासि निवेदन है, कि उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो है एवं अब हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं। हमारा आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :-

वादी की मूलाकात नं. 965 रकम का 16 हेक्टर 966 रकम का 36 हेक्टर
मम-22वाडी तहसील मुरासि तथा प्रतिवादी की मूलाकात नं. 64 रकम का 55 हेक्टर मम-22वाडी तहसील मुरासि का
मम-22वाडी तहसील मुरासि का 22वाडी तहसील मुरासि का
तथा मुकदम नं. 71/2014 अन्तर्गत धारा 188 A-T-Act का मुकदम का पक्ष को राजाराम

अतः श्रीमान् से निवेदन है, कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमें का निस्तारण करने की कृपा करें।

राजारामसि

- 1. राजाराम पुत्र साँवलिधारासि प्रतिवादी पक्ष
- 2. जाति-सिम मिठनरायणपुर
- 3.
- 4.

- 1. रामचंज पुत्र साँवलिधारासि
- 2. जाति-सिम मिठनरायणपुर
- 3.
- 4.

उमाशंकर
हस्ताक्षर
नाम राजाराम
71/2014

सीताश्रीना
हस्ताक्षर
पहचानकर्ता के हस्ताक्षर
(प्रतिवादी पक्ष) नाम उमाशंकर
71/2014

राजाराम एवं अप्रार्थी/ प्रतिवादी रामचंज द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामों की इबारत को सुन व समझ कर सही होना किा गया। अतः राजीनामा हरबख्वाहिश पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।

(ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य)

लोक अदालत
गंगापूर सिटी
कैम्प नारायणपुर

(मुनिदेव यादव)
पीठासीन अधिकारी
अध्यक्ष
लोक अदालत
गंगापूर सिटी
कैम्प नारायणपुर